चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी0ए0/4268
दिनांक :– 08-10-25

तत्काल/अति आवश्यक

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक/सचिव,
समस्त सम्बद्ध राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालय/संस्थान
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषय :–वित्तीय वर्ष/शैक्षणिक सत्र 2025–2026 में दशमोतर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित महाविद्यालयों/संस्थानों के द्वारा लॉक किये गये मास्टर डाटा प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव के पत्रांक संख्या :119/2025/1400/26–3–2025–1513982 दिनांक 18.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान के द्वारा Scholorship Portal पर अपलोड की गई निम्न सूचनाए उपलब्ध कराने का कष्ट करें जो निम्न है :–

02. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों का नॉन रिफन्डेबल राशि का शुल्क संचना (Fee Structure) को प्रमाणित करते हुए प्रेषित करने का कष्ट करें।
03. महाविद्यालयों के प्रोफाइल की फोटो कॉपी जो छात्रवृत्ति के पोर्टल पर भरा गया है जिसमें प्राचार्य/प्राचार्या एवं नोडल अधिकारी का नाम अंकित है के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्राचार्य/प्राचार्या की छायाप्रति (राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों को छोड़कर) संलग्न प्रारूप–1 एवं AISHE का प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
04. विषयवार पाठ्यक्रम एवं शुल्क की सूचनाए जो महाविद्यालय के लॉगिन पर डिजिटली अंकित है के सापेक्ष में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षकों का विवरण जो विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपलोड किया गया है कि छायाप्रति एवं पाठ्यक्रमों का अनुमोदन पत्र (AICTE/NCTE/BCI ect.) भी प्रेषित करे।
05. महाविद्यालय/संस्थानों के द्वारा लॉक किये गये पाठ्यक्रमों का सम्बद्धता पत्र सम्बद्धता विभाग के द्वारा सत्यापित कराकर प्रेषित करे।
06. प्राचार्य, राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालय के एवं सचिव अथवा अध्यक्ष स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के द्वारा रू0 100/–के फोटोयुक्त शपथ पत्र इस आशय से प्रेषित कि महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों का छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के नियमों के अनुसार डेटा अग्रसारित किया जायेगा एवं इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो सम्बन्धित महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा।

अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचनाए सत्यापित कराकर प्रत्येक दशा में दिनांक 20.10.2025 तक दो प्रति में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय/संस्थान स्वयं जिम्मेदार होगा।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय
08.10.25
कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

01. वैयक्तिक सहायक कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
02. सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता) को इस आशय से प्रेषित कि प्रत्येक सम्बद्धता पत्र को प्रमाणित करे।
03. छात्रकल्याण अधिष्ठाता, छात्रवृत्ति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
04. नोडल अधिकारी, छात्रवृत्ति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
05. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट।

कुलसचिव

प्रारूप– 1

	छात्रवृत्ति नोडल प्रथम (समस्त डिग्री कालिज हेतु प्राचार्य/नोडल अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर)	छात्रवृत्ति नोडल द्वितीय (वित्त अधिकारी अथवा फैकल्टी के अध्यापक)
नाम		
पदनाम		
विश्वविद्यालय का अनुमोदन पत्र **(Authorization Letter)** का पत्रांक व दिनांक		
पता		
मो0न0		
आधार संख्या		

संख्या-119/2025/1400/26-3-2025-1513982

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण/जनजाति विकास,
उ0प्र लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 18 जून, 2025

विषय-वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु समय-सारिणी का शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, समाज कल्याण के पत्र संख्या-1082-54/स0क0/शिक्षा-अ/9/3/2025-26 दिनांक 26.05.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु समय-सारिणी का शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) योजना से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का प्रदेश के अन्दर एवं वाह्य प्रदेशों में संचालित शिक्षण संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन से छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु समय-सारिणी जारी की जानी है।

3- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं के छात्र/छात्राओं को प्रथम चरण में 15 दिसम्बर 2025 तक, द्वितीय चरण में 24 जनवरी 2026 तक, तृतीय चरण में 10 मार्च 2026 तक व चतुर्थ चरण में 22 जून 2026 तक भुगतान किये जाने हेतु समयावधि निर्धारित है।

4- तत्क्रम में वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शिक्षण संस्थाओं को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उच्च कक्षाओं (कक्षा-12 से ऊपर) में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन से छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु निम्नानुसार समय-सारिणी निर्गत की जा रही है:-

क्र0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
	मास्टर डाटा लॉक की कार्यवाही	
1	<u>शिक्षण संस्था द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना</u> प्रदेश में स्थित नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही विश्वविद्यालय/ एफिलियेटिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना। वाह्य प्रदेश में स्थित शासकीय /शासकीय सहायता प्राप्त नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करना	07 जुलाई, 2025 से 25 नवम्बर, 2025 तक

	तथा योजनाधिकारी/नोडल अधिकारी, मुख्यालय द्वारा पासवर्ड प्रदान किया जाना। मास्टर डाटा में पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं (प्रदेश व वाह्य प्रदेश) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	
2	<u>विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा फीस आदि का सत्यापन</u> प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना।	08 जुलाई, 2025 से 05 दिसम्बर, 2025 तक
3	<u>जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन</u> प्रदेश के अन्दर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना।	09 जुलाई, 2025 से 12 दिसम्बर, 2025 तक
	छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन/भुगतान आदि की प्रक्रिया	
4	<u>छात्र द्वारा रजिस्ट्रेशन/ऑनलाइन आवेदन</u>	10 जुलाई, 2025 से 31 मार्च, 2026
5	<u>छात्र द्वारा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालना</u> छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन फाइनल सब्मिशन किया जाना।	12 जुलाई, 2025 से 03 अप्रैल, 2026 तक
6	**हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा <u>किया जाना</u>** आनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	06 अप्रैल, 2026 तक
7	**शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित <u>करना</u>** छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	11 जुलाई, 2025 से 16 अप्रैल, 2026 तक
	प्रथम चरण	
8	**शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित <u>करना</u>** शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	09 नवम्बर, 2025 तक

9	**विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना** सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	10 नवम्बर, 2025 से 17 नवम्बर, 2025 तक
10	**एन0आई0सी0 द्वारा स्क्रूटनी** PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर उपलब्ध कराना।	10 नवम्बर, 2025 से 20 नवम्बर, 2025 तक
11	**जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना** जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	21 नवम्बर, 2025 से 02 दिसम्बर, 2025 तक
12	**मांग सृजन** जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना।	08 दिसम्बर, 2025 तक
13	**धनराशि का अन्तरण** जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड/एन0पी0सी0आई0 से मैप्ड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित करने की कार्यवाही।	15 दिसम्बर, 2025 तक
	द्वितीय चरण	
14	**शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना** शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	10 दिसम्बर, 2025 तक
15	**विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना** सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	11 दिसम्बर, 2025 से 18 दिसम्बर, 2025 तक
16	**एन0आई0सी0 द्वारा स्क्रूटनी** PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर उपलब्ध कराना।	11 दिसम्बर, 2025 से 22 दिसम्बर, 2025 तक

17	<u>जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध डाटा लॉक करना</u> जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	23 दिसम्बर, 2025 से 10 जनवरी, 2026 तक
18	<u>मॉंग सृजन</u> जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉंग सृजित कराना।	15 जनवरी, 2026 तक
19	<u>धनराशि का अन्तरण</u> जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड/एन0पी0सी0आई0 से मैप्ड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित करने की कार्यवाही।	24 जनवरी, 2026 तक
	तृतीय चरण	
20	**शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित <u>करना</u>** शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	10 जनवरी, 2026 तक
21	**<u>विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना</u>** सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	12 जनवरी, 2026 से 24 जनवरी, 2026 तक
22	**<u>एन0आई0सी0 द्वारा स्क्रूटनी</u>** PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर व छात्र के आवेदन में हुई त्रुटियों के संशोधन हेतु डाटा छात्र की लागिन पर उपलब्ध कराना।	12 जनवरी, 2026 से 22 जनवरी, 2026 तक
23	**<u>त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना</u>** छात्र/छात्रा द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र के लागिन में प्रदर्शित किया जाना तथा छात्र द्वारा त्रुटियों को ठीक किया जाना।	23 जनवरी, 2026 से 28 जनवरी, 2026 तक
24	**छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित कराना** शिक्षण संस्था द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	31 जनवरी, 2026 तक

25	**एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्क्रूटनी** छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण करके जनपदीय लागिन पर उपलब्ध कराना।	02 फरवरी, 2026 से 12 फरवरी, 2026 तक
26	**जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना** जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	28 फरवरी, 2026 तक
27	**मांग सृजन** जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना।	05 मार्च, 2026 तक
28	**धनराशि का अन्तरण** जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा वाले छात्रों को PFMS प्रणाली के माध्यम से आधार सीडेड/ एन0पी0सी0आई0 से मैप्ड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित करने की कार्यवाही।	10 मार्च, 2026 तक
	चतुर्थ चरण	
29	**शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना** शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	16 अप्रैल, 2026 तक
30	**विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना** सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।।	17 अप्रैल, 2026 से 30 अप्रैल, 2026 तक
31	**एन0आई0सी0 द्वारा स्क्रूटनी** PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर व छात्र के आवेदन में हुई त्रुटियों के संशोधन हेतु डाटा छात्र की लागिन पर उपलब्ध कराना।	17 अप्रैल, 2026 से 28 अप्रैल, 2026 तक
32	**त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना** छात्र/छात्रा द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र के लागिन में प्रदर्शित किया जाना तथा छात्र द्वारा त्रुटियों को ठीक किया जाना।	29 अप्रैल, 2026 से 06 मई, 2026 तक

33	**छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित कराना** ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना तथा शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र के अभिलेखों से मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	29 अप्रैल, 2026 से 13 मई, 2026 तक
34	**एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्क्रूटनी** छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण करके जनपदीय लागिन पर उपलब्ध कराना।	14 मई, 2026 से 21 मई, 2026 तक
35	**जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना** जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	10 जून, 2026 तक
36	**मांग सृजन** जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना।	15 जून, 2026 तक
37	**धनराशि का अन्तरण** जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा वाले छात्रों को PFMS प्रणाली के माध्यम से आधार सीडेड/ एन0पी0सी0आई0 से मैप्ड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित करने की कार्यवाही।	22 जून, 2026 तक

नियमावली में समस्त हितधारकों द्वारा उपरोक्त समय-सारिणी में उल्लिखित व्यवस्थाओं के साथ-साथ निर्धारित समयावधि में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1- संस्था स्तर से छात्रों के आवेदन पत्र अग्रसारण की कार्यवाही सम्बन्धित विश्वविद्यालय/ एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला कल्याण अधिकारी के स्तर से मास्टर डाटा (कोर्स, फीस व सीट) लॉक होने के उपरांत ही की जायेगी।

2- उक्त समय-सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद उत्तीर्ण/प्रोन्नत (Promoted with marks) होने पर अथवा सम्बन्धित पाठयक्रम की परीक्षा आयोजित हुई है, किन्तु परीक्षाफल घोषित नहीं हुआ है, की स्थिति में छात्र अपने आवेदन पत्र का नवीनीकरण करेंगे।

उत्तीर्ण/प्रोन्नत (Promoted with marks) न होने पर अथवा सम्बन्धित पाठ्यक्रम की परीक्षा आयोजित न होने पर शिक्षण संस्था द्वारा आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं किया जायेगा। परीक्षा आयोजित होने के पश्चात परीक्षाफल घोषित न होने की स्थिति में संस्था द्वारा Result Not Yet Declared आप्शन चुनकर आवेदन को फ्रीज किया जायेगा तथा संस्था स्तर पर आवेदन पत्र संशोधन किये जाने की अवधि में एन0आई0सी0 द्वारा संशोधन हेतु संस्था की लागिन पर प्रेषित किया जायेगा, जिससे कि पाठ्यक्रमों में परीक्षाफल घोषित होने की स्थिति में पूर्णांक/प्राप्तांक को संस्था द्वारा भरा जायेगा। उक्त निर्देशों का विचलन किये जाने पर संस्था के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

3- नवीनीकरण छात्र की अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा का परीक्षाफल व नामांकन संख्या (Enrollment Number) को संस्था द्वारा अंकित किया जायेगा।

4- संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाइन अग्रसारित करते समय परीक्षाफल घोषित होने की स्थिति में छात्र का गत वर्ष का परीक्षाफल (सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए) का पूर्णांक एवं प्राप्तांक तथा उपस्थिति का प्रतिशत सही रूप में भरना अनिवार्य होगा।

5- विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपने लॉगिन से निर्धारित माड्यूल पर अपलोड किया जायेगा, जिससे कि स्क्रूटनी के समय मिलान किया जा सके।

6- विभिन्न हितधारकों के स्तर से लम्बित अवशेष पात्र छात्रों को अगले चरण में सम्मिलित किया जायेगा।

7- किसी भी हितधारक के स्तर पर प्राप्त आवेदनों पर समयान्तर्गत निर्णय लिया जायेगा। आवेदन पत्र को सही होने की स्थिति में वेरीफाई करके अग्रसारित किया जायेगा तथा गलत होने की स्थिति में निरस्त किया जायेगा। किसी भी दशा में अपने स्तर पर लम्बित नहीं रखा जायेगा। शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी तथा जनपदीय कल्याण अधिकारी के स्तर पर आवेदन लम्बित होने पर सम्बन्धित नोडल अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

5- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत शासनादेशो/ छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by
MANOJ KUMAR SINGH
Date: 18-06-2025
17:38:55

(मनोज कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/नियोजन/ मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
7- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।